समेकित पिलर III प्रकटन (31 दिसंबर 2013)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता

टेबल डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित जोखिमों के विरुद्ध कुशन के रूप में तथा अपने जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए पूंजी रखता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को कारोबार रणनीति के अनुसार अपनी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर विचार किया जाता है. इसके अलावा ब्याज दर और नकदी स्थिति के संबंध में बाजार की हलचल पर भी विचार किया जाता है. साथ ही पूर्वानुमानों में सुस्पष्टता दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है.

बीसीबीएस सिफ़ारिशों के अनुरूप , भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए बासेल III पूंजी दिशा निर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं जो 01 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं. तदनुसार बैंक विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने बासेल III पूंजी अनुपात की गणना कर रहा है.

बासेल III मानदंडों का मुख्य फोकस टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा है. ये विनियामक अपेक्षाएं वर्तमान में बैंक के पास उपलब्ध पूंजी की मात्रा को पूरी करेंगी. आगे चलकर बैंक को बढ़ती कारोबारी जरूरतों को पूरा करने और बासेल III अनुबंधों में योजनाबद्ध चरण के लिए पूंजी निधियों, विशेषकर सामान्य ईक्विटी निधि आवश्यकताओं को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी. यथा 31 दिसंबर 2013 को समेकित आधार पर बैंक का सीआरएआर निम्नलिखित है :

सीआरएआर %	**बासेल III**
सीईटी 1(%)	7.85%
टीयर 1 (%)	7.93%
कुल(%)	**12.71%**

वर्तमान व भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा-निर्धारण और पूर्वानुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूँजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है. आईसीएएपी कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास चालू तथा भावी आवश्यकताओं के साथ अपनी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी का पर्याप्त स्तर है. इस कार्य में विभिन्न दबाव परिदृश्य भी शामिल किए जाते हैं, जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूँजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी परिदृश्य के प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. दबाव परीक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है और दबाव परिदृश्य के प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर विश्लेषण किया जाता है.

यथा 31 मार्च 2013 को समेकित आधार पर बैंक का सीआरएआर निम्नलिखित है :

(राशि मिलियन रुपये में)

पूंजी आवश्यकता	
ऋण जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	2,09,464.81
प्रतिभूतिकरण	31.40
बाजार जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	6,573.11
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	450.00
इक्विटी जोखिम	9,073.23
परिचालन जोखिम पूंजी	
मूल संकेतक दृष्टिकोण	10,821.15
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी	**2,36,413.70**
	(प्रतिशत)
सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 और कुल पूंजी अनुपात :	
सीईटी 1 (%)	7.90%
टीयर 1 (%)	8.01%
कुल (%)	12.81%

2. जोखिम प्रकटन और मूल्यांकन

टेबल डीएफ 3: ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी के चूक जाने या वित्तीय संविदा के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा न करने कारण उत्पन्न हो सकता है.ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक को अपने उधार, निवेश तथा अन्य ऋण कार्यकलापों के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढाँचा बनाया गया है. जोखिम अभिशासन ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारी निर्धारण प्रस्तुत करता है. रिपोर्टिंग संबंध तथा प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है.

क. बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक ने न्यूनतम प्रक्रमों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किये हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों पर आबद्धकर हैं. बैंक की ऋण नीति ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अधिक कणिक कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है. ऋण रणनीति की बोर्ड द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाती है और उसे अनुमोदित किया जाता है.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण, उद्योग को ऋण सहायता और अप्रतिभूति आदि ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश रखे हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा

अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियाँ हैं.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गतिकी की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाः

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है. बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक मुख्य साधन है.

बैंक ने बासेल II की अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है. यह रेटिंग के लिए एक द्वि-आयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है. उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केंद्रीकृत रूप में की जाती है. बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपयुक्त रेटिंग समिति आतंरिक ऋण रेटिंग को प्रमाणित करती है. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक

खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव को मूल्यांकन के अंक दिए जाते हैं.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है.

अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषाएं

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में करता है. अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है, जहां :

- मीयादी ऋण में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.
- खाते में ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) चलते रहने पर खाता अनियमित माना जाता है. 'अनियमित' का अर्थ है यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम हैं, किंतु उनमें यथा तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.
- क्रय किए गए या भुनाई किए गए बिल के मामले में 90 दिन से अधिक होने पर बिल अतिदेय माना जाता है.
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय होने और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय होने पर.

इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अवमानक परिसंपत्ति वह है जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में हो. यदि अवमानक परिसंपत्ति 12 महीने से

अधिक के लिए हो तो उसे संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. हानि परिसंपत्ति वह है जहां हानि को बैंक द्वारा या आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा या आरबीआई निरीक्षण के दौरान अभिनिर्धारित किया गया है , किन्तु राशि बट्टे खाते में पूर्ण रूप से नहीं डाली गई है.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज / मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण प्रावधानों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.

ख. कुल सकल ऋण सहायता, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पृथक रूप से.

(राशि मिलियन रुपये में)

विवरण	**निधि आधारित**	**गैर निधि आधारित**	**कुल**
कुल सकल ऋण सहायता *	25,66,058.86	14,68,157.94	40,34,216.80
देशी	23,99,899.75	14,50,469.33	38,50,369.08
विदेशी	1,66,159.11	17,688.61	1,83,847.72

* इनमें अग्रिम, साख पत्र, बैंक गारंटी, एलईआर, स्वीकृतियां और अनाहरित मंजूरियां शामिल हैं.

ग. सकल ऋण सहायता का उद्योग आधारित वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पृथक रूप से

(राशि मिलियन रुपये में)

उद्योग का नाम	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**कुल**
बिजली	3,31,254.14	1,66,027.27	4,97,281.41
तेल एवं गैस / पैट्रोलियम पदार्थ	93,385.13	1,92,281.75	2,85,666.88
सड़क और पुल / पोर्ट	1,64,561.03	1,10,164.30	2,74,725.33
इंफ्रास्ट्रक्चर (अन्य)	1,39,473.78	1,25,113.53	2,64,587.31
लोहा एवं इस्पात	1,45,868.80	81,629.42	2,27,498.22
आवास ऋण	2,24,743.55	0.00	2,24,743.55
बैंकिंग	28,607.11	1,30,069.80	1,58,676.91
दूरसंचार सेवाएं	81,461.61	37,999.95	1,19,461.56
एनबीएफसी	1,08,878.86	7,648.63	1,16,527.49

व्यापार	78,374.04	36,648.68	1,15,022.72
सामान्य मशीनरी एवं उपकरण	33,152.61	67,416.59	1,00,569.20
टेक्सटाइल	81,166.07	17,965.77	99,131.84
निर्माण	22,643.61	56,763.72	79,407.33
रसायन और रसायन उत्पाद	42,347.10	35,710.91	78,058.01
उर्वरक	33,648.71	44,191.24	77,839.95
सीमेंट	63,507.12	12,389.08	75,896.20
आवास वित्त कंपनियां	70,758.91	0.00	70,758.91
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	65,441.95	572.31	66,014.26
धातु एवं धातु उत्पाद (लोहा व इस्पात को छोड़कर)	12,821.14	46,828.20	59,649.34
इलेक्ट्रिकल मशीन और उपस्कर	15,708.26	43,850.27	59,558.53
अन्य	7,28,255.33	2,54,886.52	9,83,141.85
सकल ऋण सहायता	**25,66,058.86**	**14,68,157.94**	**40,34,216.80**

ऐसे उद्योग जिनकी सकल ऋण सहायता 5 % से अधिक है

(राशि मिलियन रुपये में)

उद्योग का नाम	**निधि आधारित**	**गैर निधि आधारित**	**कुल**	**%**
बिजली	3,31,254.14	1,66,027.27	4,97,281.41	12.33%
तेल एवं गैस / पैट्रोलियम पदार्थ	93,385.13	1,92,281.75	2,85,666.88	7.08%
सड़क, पुल / पोर्ट	1,64,561.03	1,10,164.30	2,74,725.33	6.81%
इंफ्रास्ट्रक्चर (अन्य)	1,39,473.78	1,25,113.53	2,64,587.31	6.56%
लोहा एवं इस्पात	1,45,868.80	81,629.42	2,27,498.22	5.64%
आवास ऋण	2,24,743.55	0.00	2,24,743.55	5.57%

घ. परिसंपत्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

(राशि मिलियन रुपये में)

परिपक्वता अवधि	परिसंपत्तियां				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष	**निवेश**	**अग्रिम**	**अचल परिसंपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां**	**कुल परिसंपत्तियां**
पहला दिन	19,263.87	17,256.65	16,490.71	4,844.20	57,855.43
2 से 7 दिन	6,268.50	23,374.10	15,512.10	2,365.00	47,519.70
8 से 14 दिन	5,056.30	2,652.70	11,866.90	3,776.00	23,351.90
15 से 28 दिन	1,666.70	889.50	14,555.60	2,683.20	19,795.00
29 दिन से 3 माह	10,106.20	7,343.00	1,13,523.00	12,713.60	1,43,685.80
3 माह से अधिक व 6 माह तक	17,091.40	23,631.10	52,365.10	3,485.90	96,573.50
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	22,357.10	77,573.20	1,10,368.60	937.10	2,11,236.00
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	21,683.40	1,25,517.30	7,09,198.00	166.30	8,56,565.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	6,625.70	1,25,828.50	2,55,803.30	41,060.40	4,29,317.90
5 वर्ष से अधिक	12,208.50	5,05,007.90	4,85,599.20	34,253.02	10,37,068.62
कुल	**1,22,327.67**	**9,09,073.95**	**17,85,282.51**	**1,06,284.72**	**29,22,968.85**

ङ. 31 दिसम्बर 2013 को अनर्जक परिसंपत्तियां

(राशि मिलियन रुपये में)

एनपीए की राशि (सकल)	**1,00,124.39**
अवमानक	31105.45
संदिग्ध 1	27340.12
संदिग्ध 2	34369.84
संदिग्ध 3	3958.79

हानि	3350.19
निवल एनपीए राशि	**52,230.63**
एनपीए अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	5.44%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	2.93%
एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल)	
• आरंभिक शेष (30 सितम्बर 2013)	93701.00
• परिवर्धन	8550.16
• बट्टे खाते डाले गए	461.10
• कटौतियां	1665.67
• अंतिम शेष	100124.39
एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव	
• आरंभिक शेष (30 सितम्बर 2013)	40693.06
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	7285.54
• घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफ़र में अंतरित	0.00
• घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि	461.10
• घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	924.66
• अंतिम शेष	46592.84
अनर्जक निवेशों की राशि	**8,569.50**
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	5395.36
निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	
आरंभिक शेष	11,100.14
अवधि के दौरान प्रावधान	1,392.23
बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	21.90
अंतिम शेष	12,470.47

टेबल डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटनः

बैंक पूंजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग

करता है. एनसीएएफ **और बासेल III दिशा-निर्देशों** के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स (पूर्ववर्ती फिच इंडिया), ब्रिकवर्क तथा स्मेरा और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच , मूडीस और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत तरीके से तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर अल्पावधि व दीर्घावधि सभी पात्र ऋण सहायताओं के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.

जोखिम भारिता के प्रयोजन के लिए पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम सहायता की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

किसी कॉरपोरेट ऋण सहायता के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है.

बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की निवल बकाया राशि और ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों को छोड़कर 3 प्रमुख जोखिम समूहों में गैर-निधि आधारित सुविधाओं की बकाया राशि तथा घटायी गई राशि निम्नानुसार है

(राशि मिलियन रुपये में)

जोखिम-भार	**निवल ऋण सहायता**
100% से कम	**18,62,287.87**
100 % पर	**11,05,066.38**
100 % से अधिक	**5,41,599.17**
पूंजी से कटौती	**410.57**
कुल	**35,09,363.99**